

राजस्थान सरकार,
वित्त (जी. एण्ड टी) विभाग

क्रमांक:- वित्त/जी.एण्ड टी/2002 पार्ट II

दिनांक: 9/7/04

निदेशक

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,

राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय:- श्री शिवदान सिंह यादव निरीक्षक की प्रतिनियुक्ति अवधि के
पेंशन अंशदान वसूली के बारे में मार्गदर्शन बाबत ।

संदर्भ:- आपका पत्रांक अंशदान / 134 सी सी दिनांक 31.5.04

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि
पंजीकृत सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों /
अधिकारियों की पेंशन अंशदान वसूली के सम्बन्ध में आपको सम्बोधित वित्त
(ग्रुप-2) विभाग का पत्र क्रमांक प.1 (3) वित्त/ग्रुप-2/76 दिनांक 15.12.90
स्वतः स्पष्ट है । अतः प्रकरण में तदानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

ह0/

उप शासन सचिव